न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 06/2016

विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं
– निगरानीकार

बनाम

1. महीपाल सिंह पुत्र श्री चन्दगीराम,जाति जाट निवासी मोई सद्दा, तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोईसदा पं.सं. बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
–गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राजस्थान पंचायत राज.अधिनियम 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा संख्या 02 दिनांक 5.8.2011 द्वारा ग्राम पंचायत मोई सद्दा व आदेश प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2015

उपस्थिति : –
1. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – निगरानीकार की ओर से।
2. श्री द्वारका प्रसाद – गैर निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय – दिनांक :– 07.11.2016

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध आदेश पट्टा संख्या 02 दिनांक 5.8.2011 द्वारा ग्राम पंचायत मोई सद्दा व आदेश प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि ग्राम पंचायत मोई सद्दा गैर निगरानीकार संख्या 2 का आदेश विधि विरूद्ध गलत व अनऔचित्यपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांकित 5.8.2011 गैर निगरानीकार नं. 1 को दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है, ग्राम पंचायत को जोहड़ की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, जोहड़ की भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसका पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी तथ्य पर गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। गैर निगरानीकार नं0 2 ने उक्त पटटा अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर जारी किया है। ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था,, इसलिए भी पट्टा

निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार नं. 2 द्वारा गैर निगरानीकार नं. 1 को लाभ पंहुचाने की नियम से निगरानी समिति कर गठन न कर सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से की गई है। जबकि राज. पंचायती राज अधि. में निगरानी समिति गठन कर विधिक प्रकिया अपनाने का प्रावधान है, जबकि गैरनिगरानीकार नं. 1 ने नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की है,इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष उक्त पट्टा गलत जारी होने की शिकायत पेश होने पर माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा उक्ट पटटे की जांच करवाई गई जिसकी जांच में उक्त पट्टा विधि विरूद्ध पाया गया जिसमें दोषी कर्मचारी तत्कालीन पटवारी सहीराम के विरूद्ध 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही खोली गई है। जिसकी जानकारी होने पर निगरानी अन्दार मियाद पेश की जा रही हे। गैर निगरानीकार नं. 2 का अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक ही पट्टा जारी करने का अधिकारी है,जबकि गैर निगरानीकार नं. 2 ने गैर निगरानीकार नं. 1 को 497.78 वर्गगज का पट्टा जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने का कारण निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 14.10.2005 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 5.8.2011 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांकित 5.8.2011 गैर निगरानीकार नं. 1 को दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है, ग्राम पंचायत को जोहड़ की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, जोहड़ की भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसका पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकार नं0 2 ने उक्त पटटा अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर जारी किया है। ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था । गैर निगरानीकार नं. 2 द्वारा गैर निगरानीकार नं. 1 को लाभ पंहुचाने की नियत से निगरानी समिति का गठन न कर सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से की गई है। जबकि राज. पंचायती राज अधि. में निगरानी समिति गठन कर विधिक प्रकिया अपनाने का प्रावधान है, जबकि गैरनिगरानीकार नं. 1 ने नियमों की अनदेखी कर

पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की है। गैर निगरानीकार नं. 2 का अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक ही पट्टा जारी करने का अधिकारी है,जबकि, गैर निगरानीकार नं. 2 ने गैर निगरानीकार नं. 1 को 497.78 वर्गगज का पट्टा जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने का कारण निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने बताया कि प्रश्नगत को लेकर सिविल न्यायाधीश बुहाना के न्यायालय में सिविल वाद विचाराधीन है, जहां बाद साक्ष्य प्रकरण का निस्तारण होना है जिसमें तहसीलदार बुहाना भी पक्षकार है। प्रकरण में वाद के निर्णत तक दोनों पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। ऐसी स्थिति में अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने निगरानी पत्रावली एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा इस प्रकरण में सिविल न्यायाधीश बुहाना में विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय की आदेशिका एवं स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया ।ग्राम पंचायत मोई सद्दा द्वारा जारी उक्त पट्टे के संबंध में प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश बुहाना की अदालत में विचाराधीन है तथा वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। चूंकि सिविल न्यायालय में उक्त प्रकरण का निस्तारण दोनों पक्षों की सुनवाई एवं बाद साक्ष्य होना है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये इस निगरानी पर इस स्टेज पर मैरिट पर कोई राय प्रकट करना उचित नहीं समझता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की यह निगरानी खारिज की जाती है। मिसल ग्राम पंचायत मोईसद्दा आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(एम0आर0बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू